

# समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला नजारत शाखा)

## समाहरणालय, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों के क्रय हेतु

### अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना।

समाहरणालय पुस्तकालय के सुदृढीकरण हेतु उत्कृष्ट श्रेणी के पुस्तकों के क्रय/दर निर्धारण हेतु दिनांक 01.06.12 को 02:00 बजे अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है। उसी दिन 03:00 बजे अपराह्न में निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधि के सामने जिला क्रय समिति के द्वारा निविदा खोली जायेगी। पुस्तकों की सूची मुंगेर वेबसाइट [munger.bih.nic.in](http://munger.bih.nic.in) पर देखा जा सकता है तथा जिला नजारत के सूचना पट्ट पर भी उपलब्ध है।

### निविदा की शर्तें

1. पुस्तक विक्रय करने का अभिप्रमाणित अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा।
2. वित्तीय निविदा में पुस्तकों का दर अंकित करना होगा।
3. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफों में होनी चाहिए/जो तकनीकी बिड पूरा करेंगे उनका ही वित्तीय बिड खोला जायेगा।
4. अग्रधन के रूप में जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पदनाम से 10000/- (दस हजार) रुपये का जमानत के रूप में बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
5. सभी निविदा में कार्य का नाम एवं निविदादाता का नाम एवं पता, मोबाईल नं0 स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
6. अद्यतन आयकर प्रमाण-पत्र/पैन कार्ड का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना है। यह भी अंकित करना है कि संबंधित प्रतिष्ठान प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप अथवा कम्पनी के रूप में पंजीकृत है।
7. अद्यतन वाणिज्यकर/बैट निबंधन प्रमाण-पत्र तथा 2011-12 का बिक्री कर/बैट अदायकी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
8. निविदादाता को अपने प्रतिष्ठान में पैड पर यह लिखित देना होगा कि किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में वे काली सूची में दर्ज नहीं है तथा दी गयी सूचनाएँ सही हैं। प्रतिष्ठान के स्वामी या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे एवं निविदा में भाग लेंगे।
9. आपूर्ति की जाने वाली सभी पुस्तकों का नाम तथा दर अंकों में तथा शब्दों में लिखा होना चाहिए।
10. निविदादाता द्वारा निविदित दर सभी करों सहित होगा।
11. आपूर्ति किए गए पुस्तकों की गुणवत्ता के अनुरूप पाए जाने पर ही नियमानुसार सभी कर की कटौतियों के उपरान्त भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
12. विहित गुणवत्ता एवं निर्धारित अवधि पर पुस्तकों की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी तथा इसी दर पर अन्य आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति लेने की स्वतन्त्रता होगी/ पुस्तकों की आपूर्ति संबंधित कार्यालय में ली जायेगी तथा परिवहन हेतु कोई राशि देय नहीं होगा।
13. जिला क्रय समिति को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
14. पुस्तकों की आपूर्ति हेतु अलग से कोई अग्रिम देय नहीं होगा।
15. आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों की सूची एवं गुणवत्ता इत्यादि के विस्तृत जानकारी हेतु कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
16. किसी भी समय निविदा की प्रक्रिया में अमान्य करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित है।

30/05/12  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।